न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/06/2019 | प्रवेश तिथि 04–02–2019 | निर्णय दिनांक 15–04–2019

01– कालाराम पुत्र श्री परताब जाति गुर्जर निवासी सौतका तहसील व जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार बहादुरपुर, जिला अलवर, राज0

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहादुरपुर दिनांक 20.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 27/2018

उपस्थितः–

01–श्री औमप्रकाश चौहान —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः:—

अपीलान्ट ने यह अपील उपतहसीलदार बहादुरपुर के आदेश दिनांक 20.03.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का ग्राम सौतका की सरकारी सिवायचक गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 843 रकबा 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सौतका की सरकारी सिवायचक गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 843 रकबा 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 04.02.2019 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 04.02.2019 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का भजेड़ा की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2019 में भी अपीलांट का कब्जा नहीं होना बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–04–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)